

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद,

सचिव,

30प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

गाजीपुर, बरेली तथा सिद्वार्थनगर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक-02 फरवरी, 2022

विषय:- कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों (Next of Kin of the deceased) को
 ₹ 50,000/- प्रति मृतक अनुग्रह सहायता दिये जाने के संबंध में।

सहोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-जी0आई0 105/एक-11-2021-5 (जी)/2021, दिनांक 23.10.2021 में दिए गए निर्देशों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दि0 22.11.2021 के अनुपालन में कोविड 19 से मृत व्यक्तियों के परिवारीजन को ₹ 50,000/- की अनुग्रह सहायता प्रदान किये जाने हेतु राजस्व अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या- 1893/1-10-2021-33(12)/2021 दिनांक 24.11.2021 तथा शासनादेश संख्या- 1928/1-10-2021-33(12)/2021 दिनांक 01.12.2021 द्वारा जनपदों को आवंटित धनराशि के अतिरिक्त जनपदों द्वारा किए गए अनुरोध के दृष्टिगत कोविड 19 से मृत व्यक्तियों के परिवारीजन को ₹ 50,000/- की अनुग्रह सहायता प्रदान किये जाने हेतु निम्न विवरण/शर्तों के अधीन कुल ₹ 1,40,00,000/- (₹ एक करोड़ चालीस लाख मात्र) की अतिरिक्त धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

धनराशि लाख ₹ में

क्र0	जनपद	आवंटन
1	2	3
1	गाजीपुर	10.00
2	बरेली	100.00
3	सिद्वार्थनगर	30.00
	योग	140.00

(1) उपरोक्तानुसार सम्बन्धित जिलाधिकारी अनुग्रह धनराशि सम्बन्धित मृतक के विधिक उत्तराधिकारी के बैंक खाते में तत्काल स्थानान्तरित करेंगे।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(3) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2022 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2022 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि

तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वितीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मर्दों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

4- उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि ₹0 1,40,00,000/- (₹0 एक करोड़ चालीस लाख मात्र) वर्तमान वितीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड 800-अन्य व्यय 06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय 11-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय 42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

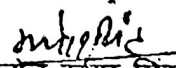
(रणवीर प्रसाद)
सचिव।

संख्या-157 (1)/एक-10-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथमआडिट प्रथम/, 30प्र0 प्रयागराज।
- 2- प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
- 3- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, 30प्र0।
- 4- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, 30प्र0 शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, 30प्र0 शासन।
- 6- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
- 7- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, 30प्र0 लखनऊ।
- 8- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 9- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0।
- 10- नोडल अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 (बजट आवंटन), 30प्र0 शासन।
- 11- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी मुख्य कोषाधिकारी।
- 12- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 30प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 13- वित्त -अनुभाग (नियंत्रण-व्यय)5।
- 14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-03/02/2022

प्रेषण संख्या:- 157
आवंटन आदेश संख्या:- 195-2021-2022
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	बरेली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 25000000	10000000 25000000
2	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 11000000	1000000 11000000
3	सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 8158000	3000000 8158000
	योग	वर्तमान प्रगामी	14000000 44158000	14000000 44158000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ चालीस लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ इक्तालीस लाख अट्ठावन हजार


(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आशुवत कार्यालय
उ० प्र० शासन।